बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स० :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 391 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

कार्य प्रमंडल, रजौली अन्तर्गत जी0टी0एस0एन0वाई0 से संबंधित योजनाओं को संबंधित माननीय स0वि0स0 से प्राप्त छुटे हुये टोलों/पथों का जॉचोपरान्त प्रतिवेदन विलंब से विभाग को समर्पित करने संबंधी आरोपों पर मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3212 दिनांक 08.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री अरशद के पत्रांक 372 दिनांक 27.03.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण के विभागीय समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में विभागीय पत्रांक 393 अनु0 दिनांक 21.01.2020 द्वारा श्री अरशद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

3. श्री अरशद के पत्रांक 690 दिनांक 08.04.2021 से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर पर नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0 के मंतव्य के आलोक में मो० अरशद को साक्ष्य सहित द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। वांछित साक्ष्य सहित द्वितीय कारण पृच्छा निर्धारित अवधि के बाद भी प्राप्त नहीं होने के आलोक में समीक्षोपरान्त अधिसूचना संख्या–1210 सह–पठित ज्ञापांक–1211 दिनांक 17.05.2023 द्वारा मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किया गया।

4. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध मो० अरशद के पत्र दिनांक 26.05.2023 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में मो० अरशद द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत् आरोप उनके कार्य प्रमंडल, रजौली के पदस्थापन काल (2016–18) से संबंधित है। तत्पश्चात् उनका स्थानांतरण कार्य प्रमंडल, नवादा एवं उसके बाद कार्य प्रमंडल, गया में हो गया था। प्रश्नगत् मामले में विभागीय पत्रांक 3212 दिनांक 08.11.2017 द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब उनके द्वारा समर्पित किया गया था, किन्तु उसे स्वीकार योग्य नहीं बताते हुए विभागीय पत्रांक 393 दिनांक 21.10.2020 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। जिसके क्रम में पत्रांक 690 दिनांक 08.04.2021 द्वारा कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित कर दिया था, जिसमें यह उल्लेख किया था कि कार्य प्रमंडल, रजौली से अभिलेख प्राप्त करने के पश्चात् ही इस संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराना संभव होगा, जिसके लिए प्रयासरत हूँ। इस बीच स्थानांतरण कार्य प्रमंडल, गया में हो गया था। तत्पश्चात् कार्यकारी प्रभार के तहत अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, औरंगाबाद का प्रभार दिया गया है। इस आधार पर मो० अरशद द्वारा कहा गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण एवं विभागीय कार्य में व्यस्तता के कारण उनके द्वारा साक्ष्य सहित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया जा सका। यह परिस्थितिजन्य है एवं उसके लिए उन्हें खेद है।

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:Secretaryrwdbihar@gmail.com & sec-reo-bih@nic.in. D:/2024/Aaropmu

मो० अरशद द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के गै०स०प्रे०सं०–540 दिनांक 23.02.2017 के अनुपालन में माननीय स०वि०स० श्रीमती पूर्णिमा यादव, गोबिन्दपुर की अनुशंसा के आलोक में विधायक प्रतिनिधि गोबिन्दपुर से विमर्श करने के उपरान्त ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के मापदंडों के अनुरूप पाये गये प्रखंड गोविन्दपुर एवं रोड़ के बसाटों की सूची प्रमंडलीय कार्यालय के पत्रांक 319 दिनांक 29.03.2017 द्वारा नोडल पदाधिकारी, जी०टी०एस०एन०वाई० को समर्पित कर दिया था। उक्त प्रतिवेदनों में से कतिपय पर माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि का हस्ताक्षर नहीं था, जो कि अपेक्षित था। अतएव उनपर माननीय विधायक के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर दिनांक 31.05.2017 को प्राप्त कर मामले कि महत्ता को देखते हुए जून 2017 के प्रथम सप्ताह में हाथों हाथ जी०टी०एस०एन०वाई० कोषांग में समर्पित कर दिया था। उक्त तथ्यों के अतिरिक्त मो0 अरशद द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में यह भी कहा गया कि प्रश्नगत् आरोप कोई वित्तीय अनियमितता संबंधी मामला नहीं है।

5. मो० अरशद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में उल्लेखित तथ्यों एवं मामले में संधारित कागजातों के परिशीलन से समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत् आरोप कोई वित्तीय अनियमितता से संबंधित नहीं है, अपितु प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने संबंधित है। इसी मामले में अन्य कार्यपालक अभियंताओं से भी आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण पूछा गया था तथा प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त उन अभियंताओं के द्वितीय बचाव बयान को चेतावनी के साथ स्वीकृत किया गया है। आरोप की प्रकृति गंभीर नहीं है तथा इसमें कोई वित्तीय क्षति अथवा विभाग को अन्य असहज परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है। इस प्रकार मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी स्वीकार योग्य पाया गया।

6. अतः उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या–1210–सह पठित ज्ञापांक–1211 दिनांक 17.05.2023 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित दंड को निरस्त करते हुए मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), कार्य अंचल, औरंगाबाद के विचाराधीन पुनर्विलोकन अर्जी (दिनांक 26.05.2023) को भी चेतावनी के साथ स्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 392 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 392 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/नोडल पदाधिकारी, जी0टी0एस0एन0वाई0, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रजौली/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मो० अरशद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रजौली सम्प्रति अधीक्षण अभियंता (कार्यकारी प्रभार), ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–97/2017 392 /पटना, दिनांक :– 9.2.24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव